

‘बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले’

राजीव गांधी स्टडी सर्किल के “फ्लॉप शो” के बाद उल्टे पांव जयपुर लौटे गहलोत



नई दिल्ली के जवाहर भवन में अशोक गहलोत द्वारा आयोजित उनकी संस्था राजीव गांधी स्टडी सर्किल के एक कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता नहीं आया। सिर्फ मीनाक्षी नटराजन ही आईं, जो उनके साथ मंच पर बैठी थीं और बाकी कुर्सियाँ खाली थीं।

- रेणु मिश्र -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 20 अगस्त। अशोक गहलोत भारी उम्मीद और अपेक्षा के साथ दिल्ली पहुँचे लेकिन बुधवार दोपहर ही भारी वे निराशा के माहौल में जल्दी ही लौट गए। उन्होंने जवाहर भवन में गहलोत ने अपनी संस्था राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यक्रम आयोजित किया था, उनका सामना सिर्फ खाली कुर्सियाँ, खाली हॉल से हुआ, उसमें कोई गंभीर नेता मौजूद नहीं था। सिर्फ मीनाक्षी नटराजन ही आई थीं, जो उनके साथ मंच पर बैठी थीं, और बाकी थी कुछ खाली कुर्सियाँ। दर्शकों में बैठे कुछ लोग वे थे, जो

■ बड़ी धूम धाम से गहलोत ने दिल्ली में राजीव गांधी की जयंती पर अपनी संस्था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कार्यक्रम में कोई नेता नहीं आया। यहां तक कि गहलोत के तथाकथित हितैषी भी नहीं आए।

■ सिर्फ मीनाक्षी नटराजन आईं जो खाली कुर्सियों के बीच मंच पर गहलोत के साथ बैठी थीं, गहलोत के परम प्रिय सुभाष गर्ग भी अनुपस्थित थे।

■ इसे कहते हैं समय का फेर, कि जो कभी राजा था आज एक पद मात्र के लिए भटक रहा है।

‘प्रेस रिलीज़ को कानून में परिवर्तन नहीं माना जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिये अपने आदेश में स्पष्ट किया, कानून में परिवर्तन के लिए एक विधिवत् प्रक्रिया होती है, जैसे विधानसभा में पारित प्रस्ताव, और इसी प्रक्रिया से कानून में तब्दीली हो सकती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 अगस्त। नई दिल्ली, 20 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को कहा कि सरकार के फैसले और स्पष्टीकरण, जिनमें ‘प्रेस रिलीज़’ भी शामिल हैं, को “पावर परचेज एग्रीमेंट्स (पी.पी.ए.)” में “कानून में बदलाव” नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑस्ट्रेन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह कहते हुए नाभा पावर लिमिटेड (एन.पी.एल.) और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टी.एस.पी.

■ प्रेस रिलीज़ को अधिकतम एक प्रशासनिक जरिया माना जा सकता है, जो सरकार समय-समय पर जारी करती है, प्रशासनिक स्पष्टीकरण की दृष्टि से।

एल.) की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन कंपनियों ने पंजाब

स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी. एल.) से कानून में बदलाव के आधार पर मुआवज़ा माँगा था। अदालत ने एपिलेट दाइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक नोटिस या प्रेस रिलीज़, जिनके पीछे कोई विधायी या वैधानिक आधार नहीं है, उन्हें कानून में बदलाव के रूप में नहीं माना जा सकता। वे केवल प्रशासनिक नीति दस्तावेज़ हैं जो सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के लिए जारी किए जाते हैं। यह मामला उस विवाद से जुड़ा है, जो सामने आया जब अपीलकर्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले तीन गिरफ्तार

जयपुर, 20 अगस्त। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बुधवार को थर्ड ग्रेड,पटवारी और पीटीआई भर्ती परीक्षाओं में डमी कैडिडेट सहित अन्य तरीके से धांधली करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023, में आरोपित डमी कैडिडेट राकेश

■ एसओजी ने थर्ड ग्रेड अध्यापक, पटवारी व पीटीआई भर्ती परीक्षा में यह कार्यवाही की।

कुमार बिस्नोई, निवासी रणजीतपुर बज्जू बीकानेर, वर्तमान में ग्राम सेवक पंचायत समिति बौली, सर्वाई माधोपुर, को गिरफ्तार किया है। इस ने मूल अभ्यर्थी अरविन्द कुमार की जगह परीक्षा दी थी। अरविन्द पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एलडीसी भर्ती 2013 की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 20 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 से जुड़े विभिन्न विवादों को लेकर दायर करीब तीन सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी कर ली है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द्र सैनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 में 19 हजार 275 पदों के

■ हाईकोर्ट ने इस प्रकरण से जुड़े विभिन्न विवादों पर दायर 3 सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी की।

लिए भर्ती निकाली थी। जून 2013 में इनमें से सात हजार पदों पर नियुक्ति दी गई। वहीं बाद में बोनस अंकों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती में रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2016 को बोनस अंकों का विवाद तय कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने शेष पदों को भरने की सहमति दी। याचिका में कहा गया कि भर्ती के करीब छह हजार पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। वहीं कंप्यूटर पात्रता, दस्तावेज सत्यापन सहित अन्य बिंदुओं को लेकर भी विवाद है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सिल्वर साइल इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन को हमारी अनुमति बगैर न बेचा जाये’

■ नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने यह आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि उसके 1 मार्च, 2022 को पारित ऐसे ही आदेश की कैसे अवहेलना की गई और इस इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन के बड़े हिस्से को बेचान किया गया, तथा उसकी सेलडीड भी जारी की और उसकी रजिस्ट्री भी हुई।

■ कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गोविन्दगढ़ के सब रजिस्ट्रार और स्टैम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले इंस्पेक्टर जनरल से जवाब-तलब किया है, उसने कैसे सिल्वर साइल प्रोजेक्ट की जमीन के सेल डीड जारी की, जबकि अदालत ने ऐसा न करने के स्पष्ट आदेश दिये थे और याचिकाकर्ता ने भी दोनों अधिकारियों को अदालती आदेश के बारे में जानकारी दी थी।

के 1 मार्च 2022 के आदेश के बाद भी करीब एक लाख वर्ग गज से भी अधिक जमीन का बेचान किया गया और सेल डीड भी बनाई गई। उल्लेखनीय है कि सिल्वर साइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में

सत्यनारायण गुप्ता के साथ साथ दो अन्य निदेशक, तारा चंद चौधरी और अशोक श्री कृष्ण मुंद्रा भी थे, परन्तु आपसी विवाद के कारण इस मामले में कई तरह के सिविल सूट व एफ आई आर दर्ज कराई गई।

जैसा कि विदित है कि इस मामले में सत्यनारायण गुप्ता की ओर से कई बार गंभीर आरोप लगाए गए कि तारा चंद चौधरी, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव भवानी शंकर सामोता के रिश्तेदार भी हैं, ने अदालत से तथ्य छुपाते हुए और अदालत के इसी मामले में दिए गए 1 मार्च 2022 के आदेश की अवहेलना करते हुए सिल्वर साइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का एक बड़ा भाग को भवानी शंकर सामोता को बेचा था। हालांकि भवानी शंकर सामोता ने बयान दिया था कि उन्हें इस मामले में चल रहे विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि सत्यनारायण गुप्ता ने गत गहलोत सरकार के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए थे कि उन्हें एफ आई आर के जरिए डरा धमकाकर, चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया था क्योंकि भवानी शंकर सामोता वैभव गहलोत और पूर्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। दुनियाभर में जारी उथल-पुथल के दौर के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बुधवार 20 अगस्त, 2025 को अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया है। अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण में सभी परिचालन

■ अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल दूरी की मिसाइल है और एटम बम को भी ले जा सकती है।

और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई है। इस परीक्षण को भारत के स्ट्रेटिजिक फोर्स कमांड के तत्वावधान में पूरा किया गया है। अग्नि-5 भारत की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपनी पकड़ मजबूत करना हो सकता है। सरकार की ओर से इन विधेयकों को यह कहकर उचित ठहराया गया कि ये राजनीतिक जीवन में वही मानक लागू करेंगे जो पहले से ही सिविल सेवकों पर लागू हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया, “जो लोग गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में रहकर शासन पर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए।” संसद के भीतर कुछ नेताओं ने इस विचार का समर्थन भी किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस प्रस्ताव को “उचित” बताया और कहा, “अगर आप 30 दिन जेल में बिताते हैं, तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? ... मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता।” हालांकि, विपक्ष इस कदम को कहीं अधिक खतरनाक मानता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चेतावनी दी कि यह विधेयक “निर्दोष होने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)